

बेनामी लेनदेन अधिनियम

प्रलिस के लयः

बेनामी संपत्तः, बेनामी लेनदेन, बेनामीदार, मनी लॉन्डरगः

मेन्स के लयः

बेनामी लेनदेन के प्रावधान (नषः) संशोधन अधिनियम 2016, असंवैधानकः प्रावधान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बेनामी लेनदेन (नषः) अधिनियम 1988 की धारा 3(2) को स्पष्ट रूप से स्वैच्छकः होने के आधार पर असंवैधानकः करार दया ।

- धारा 3(2) बेनामी लेनदेन में करने पर सजा का प्रावधान करती है ।
- न्यायाधीशों ने माना कः अधिनियम जसः वर्ष 2016 में संशोधतः कया गया था केवल संभावतः रूप से लागू कया जा सकता है और संशोधतः अधिनियम के लागू होने से पहले सभी अभयःजन या ज़बती की कार्यवाही को रद्द कर दया ।

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सुनाया

- अधिनियम, 2016 की धारा 3(3):
 - न्यायालय ने बेनामी लेनदेन करने पर तीन साल के कारावास की सजा और संपत्तः के उचित बाज़ार मूल्य के 25 परतशः तक जुरमाना बढ़ा दी ।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कः "संबंधतः अधिकारी अधिनियम, 2016 के (25 अक्टूबर 2016) के लागू होने से पहले कयः गए लेनदेन हेतु आपराधिक मुकदमा चलाने या ज़बत करने की कार्यवाही शुरू नहीं कर सकते हैं या जारी नहीं रख सकते हैं । उपरोक्त घोषणा के परिणामस्वरूप ऐसे सभी अभयःजन या ज़बती की कार्यवाही रद्द हो जाएगी ।"
- बेनामी संपत्तःयों की ज़बती:
 - सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1988 के अधिनियम में बेनामी संपत्तःयों को असंवैधानकः रूप से ज़बत करने के प्रावधान को भी असंवैधानकः ठहराया और कहा कः 2016 के संशोधतः अधिनियम में प्रावधान केवल संभावतः रूप से लागू कया जा सकता है ।
 - चूँकः यह वर्ष 2016 के संशोधन अधिनियम के तहत अन्य आधारों पर वचःार की गई स्वतंत्र ज़बती कार्यवाही की संवैधानकःता से संबंधतः नहीं है, इसलयः यह उचित मामलों में नरःणय लेने के लयः स्वतंत्र था ।
- धन शोधन नवारःण अधिनियम (PMLA), 2002
 - सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही के एक नरःणय ने PMLA के प्रावधान को बरकरार रखा जो अधिकारयों को असाधारण मामलों में मुकदमे से पहले संपत्तः पर अधिकार करने की अनुमतः देता है ।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कः इस तरह के प्रावधान से मनमाने आवेदन की संभावना खतम हो जाती है

बेनामी लेनदेन (नषः) संशोधन अधिनियम 2016

- परचयः
 - अधिनियम ने मूल अधिनियम बेनामी लेनदेन (नषः) अधिनियम 1988 में संशोधन कया और इसका नाम बदलकर बेनामी संपत्तः लेनदेन (नषः) अधिनियम, 1988 कर दया ।
 - अधिनियम ने बेनामी लेनदेन को एक लेनदेन के रूप में परभाषतः करता है जहाँ:
 - एक संपत्तः कःसी व्यक्तः के पास होती है या उसे हस्तांतरतः की जाती है लेकनः कःसी अन्य व्यक्तः द्वारा प्रदान या भुगतान की जाती है ।
 - फरजी नाम से कया गया लेनदेन

- मालिक को संपत्ति के स्वामित्व से इनकार करने के बारे में जानकारी नहीं है,
 - संपत्ति के लिये दावा प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति ट्रेस करने योग्य नहीं है।
- **अपीलीय न्यायाधिकरण:**
- यह अधिनियम न्यायनरिणायक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिये एक अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रावधान करता है।
 - अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
 - विशेष न्यायालय को शिकायत दर्ज करने की तारीख से छह महीने के भीतर मुकदमे की सुनवाई पूरी करनी चाहिए।
- **प्राधिकरण:**
- बेनामी लेनदेन के संबंध में पूछताछ या जाँच करने के लिये अधिनियम ने चार प्राधिकरणों की स्थापना की:
 - पहल अधिकारी
 - अनुमोदन प्राधिकारी
 - प्रशासक
 - नरिणायक प्राधिकारी
 - यदि पहल अधिकारी को लगता है कि व्यक्ति एक बेनामीदार है तो वह उस व्यक्ति को नोटिस जारी कर सकता है।
 - अनुमोदन प्राधिकारी की अनुमति के अधीन पहल अधिकारी नोटिस जारी होने की तारीख से 90 दिनों के लिये संपत्ति को अधिकार में ले सकता है।
 - नोटिस अवधि के अंत में, पहला अधिकारी संपत्ति पूर्वकालिक स्थिति के लिये एक आदेश पारित कर सकता है।
 - यदि संपत्ति के स्वामित्व को जारी रखने के लिये कोई आदेश पारित किया जाता है, तो **अधिकारी मामले को न्यायनरिणायक प्राधिकारी** को संदर्भित करेगा।
 - **न्यायनरिणायक प्राधिकारी** मामले से संबंधित सभी दस्तावेजों और साक्ष्यों की जाँच करेगा और फिर एक आदेश पारित करेगा कि संपत्ति को **बेनामी के रूप में रखा जाए या नहीं**।
 - बेनामी संपत्ति को ज़ब्त करने के आदेश के आधार पर, प्रशासक संपत्ति को **नरिधारित तरीके और शर्तों** के अधीन प्राप्त तथा प्रबंधित करेगा।
 - **संशोधित कानून** नरिदृष्टि अधिकारियों को बेनामी संपत्तियों को **अस्थायी रूप से संलग्न करने का अधिकार** देता है जिन्हें अंततः ज़ब्त किया जा सकता है।
- **दंड:**
- यदि कोई व्यक्ति सक्षम न्यायालय द्वारा बेनामी लेन-देन के अपराध में दोषी पाया जाता है, तो उसे कम से कम **एक वर्ष की अवधि के लिये कठोर कारावास** की सज़ा हो सकती है, जसि **7 वर्ष तक बढ़ाया** जा सकता है।
 - वह जुर्माने के लिये भी उत्तरदायी होगा जो संपत्ति के **उचित बाज़ार मूल्य के 25% तक** हो सकता है।

अधिनियम के तहत कुछ महत्वपूर्ण शर्तें:

- **संपत्ति:**
 - **किसी भी प्रकार की संपत्ति**, चाहे चल या अचल, मूरत या अमूरत, भौतिक या नगिमन और इसमें कोई अधिकार या हति या कानूनी दस्तावेज या उपकरण शामिल हैं जो संपत्ति पर अधिकार का सबूत देते हैं और जहाँ संपत्ति किसी अन्य रूप में रूपांतरण करने में सक्षम है, परिवर्तित रूप में संपत्ति और संपत्ति से आय भी शामिल है।
- **बेनामी संपत्ति:**
 - कोई भी संपत्ति जो **बेनामी लेन-देन का विषय** है और इसमें ऐसी संपत्ति से प्राप्त आय भी शामिल है।
- **बेनामीदार:**
 - एक व्यक्ति या एक काल्पनिक व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, जिसके नाम पर बेनामी संपत्ति हस्तांतरित या धारण की जाती है और इसमें वह व्यक्ति शामिल होता है जो अपना नाम उधार देता है।
- **स्वामी:**
 - ऐसा व्यक्ति चाहे उसकी पहचान ज्ञात हो या नहीं, जिसके लाभ के लिये **बेनामी संपत्ति एक बेनामीदार** के पास है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न. 'बेनामी संपत्ति लेनदेन नषिध अधिनियम, 1988 (PBPT अधिनियम)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

1. किसी संपत्ति लेनदेन को बेनामी लेनदेन नहीं माना जाता है यदि संपत्ति के मालिक लेनदेन से अवगत नहीं है।
2. बेनामी संपत्तियों सरकार द्वारा अधकृत की जा सकती हैं।
3. अधिनियम में जाँच के लिये तीन प्राधिकरणों का प्रावधान है, लेकिन किसी भी अपीलीय तंत्र का प्रावधान नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3

(d) केवल 2 और 3

उत्तर: (b)

व्याख्या:

■ **बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम, 1988 (PBPT अधिनियम):**

- एक बेनामी लेनदेन की परिभाषा को एक काल्पनिक नाम से कथि गए लेनदेन को शामिल करने के लिये वसित्तु कथि गया है, जहाँ मालिक को संपत्ति के स्वामित्व के बारे में जानकारी नहीं है या संपत्ति के लिये प्रतफल प्रदान करने वाले व्यक्ति का पता नहीं चलता है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- यह बेनामी संपत्ति के अधिग्रहण का प्रावधान रखता है। **अतः कथन 2 सही है।**
- साथ ही, इसने PBPT अधिनियम के तहत नरिणायक प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में एक अपीलीय तंत्र प्रदान कथि है। **अतः कथन 3 सही नहीं है।**

- हालाँकि, बेनामी लेनदेन के नषिध के लिये एक प्रभावी व्यवस्था प्रदान करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम को बेनामी लेनदेन (नषिध) संशोधति अधिनियम, 2016 के माध्यम से संशोधति कथि गया था।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/benami-transactions-act>

